

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1,

देहरादून :दिनांक 17 सितम्बर, 2018

विषय:-

एस.पी.ए.-आर के अंतर्गत जनपद चमोली क्षेत्रांतर्गत पार्किंग निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि., गोपेश्वर के पत्र संख्या-219/1सी.बी., दिनांक 05.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एस.पी.ए.-आर योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा. मुख्यमंत्री जी घोषणान्तर्गत गोविन्दघाट में पार्किंग निर्माण हेतु ₹ 238.94 लाख की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस.पी.ए.-आर योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा. मुख्यमंत्री जी घोषणान्तर्गत गोविन्दघाट में पार्किंग निर्माण कार्य हेतु ₹ 238.94 लाख के आगणन पर वित्त विभाग की टी.ए.सी. द्वारा परीक्षोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 218.78 लाख (₹ दो करोड़ अट्ठारह लाख अड़त्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
7. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

3- यह धनराशि आपदा, 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4- कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख-रखाव एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके आडिट का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष का होगा।
- 6- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण ईकाई का होगा।
- 7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्टि हो जायें।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-06 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-0108-एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा, 2013) के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान-24-वृहद् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/3/(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- (1)/XVIII-(2)/2018-4(16)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
6. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो.नि.वि., देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो.नि.वि., गोपेश्वर, चमोली।
8. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव